

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामपाल पिता श्रवण रेगर निवासी पीपलुन्द

बनाम

आशीष पुत्र कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 407/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
23/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में रामपाल पिता श्रवण रेगर निवासी पीपलुन्द भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। रामपाल पिता श्रवण रेगर निवासी पीपलुन्द भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 23/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सं.स. / शि.स. / 2024 / 404/2024

दिनांक- 23/05/2024

विषय-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 404/2024 अनवान रामपाल पिता श्रवण रेगर निवासी पीपलुन्द वनाम आशीष पुत्र कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, दिलखुश पिता कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, प्रियंका पिता कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, मगनी देवी पत्नी कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, मुली पुत्री कैलाश रेगर निवासी पीपलुन्द, रामपाल पिता रामचन्द्र रेगर निवासी पीपलुन्द, खेमराज पिता लादु रेगर निवासी पीपलुन्द, कालुराम पिता नंदलाल रेगर निवासी पीपलुन्द, मनोहर पिता नंदलाल रेगर निवासी पीपलुन्द, लक्ष्मण पिता पन्नालाल कंजर निवासी पीपलुन्द, गोविन्द पिता बीरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, जगदीश पिता बीरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, दुर्गालाल पिता बीरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, फूलचन्द पिता बीरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, हेमराज पिता बीरमा रेगर निवासी पीपलुन्द, कल्या पिता कल्याण रेगर निवासी पीपलुन्द, भुवाना पिता कल्याण रेगर निवासी पीपलुन्द, मोहन पिता नाराण रेगर निवासी पीपलुन्द, गोपाल पिता डालिया रेगर निवासी पीपलुन्द, नंदा पिता डालिया रेगर निवासी पीपलुन्द, प्रेमराज पिता डालिया रेगर निवासी पीपलुन्द, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलुन्द प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2512, 2513, 2548, कुल किता 01 रकबा 0.5909 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा